पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
उपरवारा सेक्टर –40, अटल नगर (छ0ग0)–493661
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्सः 0771–2263234
website : www.cghealthuniv.com ,
E-mail : healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/F-74 C/खेल/ DUHS/2023 /279 रायपुर, दिनांकः 20/10/2023

प्रति,

समस्त प्राचार्य/ डीन,
विश्वविद्यालय से संबंद्ध
समस्त महाविद्यालय

विषय – विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता की पात्रता के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि विश्वविद्यालय के नियमों में स्पष्ट लेख है कि सभी खिलाड़ियों की पात्रता की सूची एवं पुष्टि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाना है तभी उन्हे प्रतियोगिता मेभाग लेने दिया जायेगा। परन्तु प्रतियोगिता के दौरान ये देखा गया कि कुछ महाविद्यालय लगातार नियमों का उलंघन कर रहे है आयोजन करने वाले महाविद्यालय को वो निर्धारित प्रपत्र नही देते है। और बिना आवश्यक दस्तावेजों के उन्हे खेलने हेतु दबाव बनातें है । बिना निर्देशित, आवश्यक दस्तावेजों के आयोजन करने वाले महाविद्यालय, उस महाविद्यालय को स्पर्धा में प्रवेश देने से वंचित कर सकते है। समस्त प्राचार्य /डीन को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से ही निर्धारित लिखित नियमों कीजानकारी भेजी गई है कृपया पात्रता भेजने समय उन बातों का उल्लेख किया जाना है। जैसे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, प्रवेशवर्ष एवं कक्षा जिसमे अध्ययनरत है साथ ही ये पुष्टि करे की वो विश्वविद्यालय की अपनी पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण है जिन महाविद्यालय की टीम अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता मे प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त की है । साथ ही एथलेटिक स्पर्धा में जिस कालेज के विद्यार्थी ने प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उन समस्त विद्यार्थियों की प्रात्रता सातदिवस के अंदर विश्वविद्यालय में भेजे तभी विश्वविद्यालय उनके प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं उनकी विश्वविद्यालय टीम में चयन की प्रक्रिया करेगा। अन्यथा महा. टीम को आगामी वर्ष स्पर्धा में प्रवेश से वंचित किया जायेगा।

सभी खिलाड़ी अपना मूल पहचान पत्र आधार/लाइसेस /पेनकार्ड या अन्य दस्तावेज अपने साथ अनिवार्य रूप से रखे ताकि भेजे गये पात्रता पत्र की पुष्टि की जा सके। विश्वविद्यालय द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच एवं खिलाडियों की उपस्थिति, मूल पहचान पत्र के द्वारा होने पर ही उसे विश्वविद्यालय टीम में शामिल करने की प्रकिया की जायेगी।

प्रभारी कुलसचिव